

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री विजय दास, स0जि0आ0पदा0, आरा-सह-प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भोजपुर, आरा सदर (निलंबित) जिन्हें विभागीय आदेश ज्ञापांक 4910 दिनांक 03.08.2012 द्वारा निलंबित किया गया था, को समीक्षोपरांत निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. निलंबन से मुक्ति के उपरांत श्री दास यथावत भोजपुर में योगदान करेंगे।
3. विभागीय कार्यवाही अलग से ज्ञाप निर्गत करने के उपरांत चलायी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(सुरेश ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक प्र08 गो0 आ0 भोजपुर 46/2012

7311

खाद्य, पटना दिनांक-

22/11/2012

प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, आरा/बक्सर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/लेखा पदाधिकारी, वैयक्तिक दावा कोषांग, वित्त विभाग, बिहार/प्रशाखा पदा- 03./श्री अफजल आजमी, आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री विजय दास, स0जि0आ0पदा0, आरा (निलंबन अवधि में जिला आपूर्ति कार्यालय, बक्सर में मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।